

एसबीआई होम लोन सेंटर रोहिणी (एनएसपी) ए-5, प्लस बेस्ट हाइट्स-1, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली-110034

## चल सम्पत्ति के लिए 13.02.2026 को ई-नीलामी बिक्री हेतु सूचना

**प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत चल परिसम्पत्तियों की ई-नीलामी की विक्रय सूचना।**  
 एतद्वारा जनसाधारण को तथा विशेष रूप में ऋणकर्ता(ओं) एवं गारंटर(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदाता के पास दृष्टिबंधकृत/प्रभारित निम्न विवरणित चल सम्पत्ति, जिसका भौतिक अधिग्रहण भारतीय स्टेट बैंक के प्राधिकृत अधिकारी, प्रतिभूत ऋणदाता द्वारा कर लिया गया है, को **13.02.2026** को **"जैसी है जहां है", "जैसी है जो है"** तथा **"वहां जो कुछ भी है"** आधार पर बेचा जायेगा, जो कि निम्नानुसार प्रतिभूत ऋणदाता को देय-भुनेय बैंक की वसूली हेतु किया जायेगा:-

इच्छुक बोलीदाता ई-नीलामी के बंद होने से पूर्व **BAANKNET** के पास पूर्व-बोली धराज जमा कर सकते हैं। पूर्व बोली धराज का क्रेडिट बोलीदाता को **BAANKNET** के बैंक खाता में भुगतान की प्राप्ति तथा ई-नीलामी वेबसाइटों पर ऐसी जानकारी के अद्यतनीकरण के उपरान्त ही दिया जायेगा। बैंकिंग प्रक्रिया के अनुसार इसमें कुछ समय लग सकता है तथा अंतः बोलीदाताओं को अपने स्वयं के हित में सलाह है कि वे किसी भी अंतिम समय की समस्या से बचने हेतु अग्रिम रूप में पूर्व-बोली धराज राशि जमा करें।

**ई-नीलामी की तिथि/समय: 13.02.2026 को सुबह 10:00 से सायं 04:00 बजे तक 6 घंटों हेतु, 10 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार के साथ**

| क्र. सं. | उधारकर्ताओं/ गारंटर(रों) के नाम                                                                                                               | वक़ाय देयराशि/या, वसूली हेतु सम्पत्ति/यां बेची जा रही है/हैं                                  | वाहन का विवरण                                                                                                                                                             | आरक्षित मूल्य (₹.) (जिसमें कम पर सम्पत्ति नहीं बेची जा सकती)<br>धरोर राशि (ईएमडी)<br>आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत<br>बोली वृद्धि राशि | प्राधिकृत अधिकारी का नाम                                                                                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | श्री वीभव शर्मा<br>पुत्र श्री वीरेन्द्र शर्मा<br>कार ऋण खाता सं.<br>43572887910<br>निवासी सी-1/32<br>टी/एफ, यमुना विहार<br>सीलमपुर, दिल्ली-53 | ₹.19,17,290.00<br>07.08.2025 के अनुसार<br>साथ ही भावी<br>व्याज एवं उस पर<br>अन्य खर्च<br>आदि। | मेक एंड मॉडल:<br><b>MAHINDRA SCORPIO - N D AT 2WD Z8L 7S</b><br>पंजीकरण संख्या: <b>DL5CW6065</b><br>इंजन नं.: <b>YGR4L80958</b><br>चेसिस नं.:<br><b>MA1TJ2YGTR6L65527</b> | ₹ <b>21,00,000.00</b><br>₹ <b>2,10,000.00</b><br>₹ <b>5,000.00</b><br><br><b>*जीएसटी<br/>नियमानुसार</b>                              | श्री राहुल शर्मा<br>(मुख्य प्रबंधक)<br>एचएलसी रोहिणी,<br>ए-5, प्लस बेस्ट<br>हाइट्स-1, नेताजी<br>सुभाष प्लेस,<br>पीतमपुरा,<br>दिल्ली-110034<br>फोन:011-43988822 |

**धराज जमा करने की अंतिम तिथि 12.02.2026 को सायं 04:00 बजे तक अथवा इससे पूर्व है।**  
**खाता/बोलेंट लिस्टमें ईएमडी जमा की जाती है:** बोलीदाता का अपना बोलेंट जो **BAANKNET** के पास इसकी ई-नीलामी साइट: <https://baanknet.com/eauction/psb/eproc-listing> पर NEFT/RETS के माध्यम से पंजीकृत है। आरक्षित मूल्य की ईएमडी को बोलीदाताओं द्वारा अपने/उनके/उसके बैंक से एनईएफटी के माध्यम से **BAANKNET** की इसकी अपनी ई-नीलामी साइट: <https://baanknet.com/eauction-psb/eproc-listing> पर/के पास अनुरक्षित अपने/उनके/उसके बोलीदाता खाते पर उपलब्ध किये गये चालान के माध्यम से अंतरित किया जाएगा। किसी भी सहायता के लिए कृपया **BAANKNET** हेल्पडेस्क नं. +91 8291220220, [support.BAANKNET@psballiance.com](mailto:support.BAANKNET@psballiance.com) पर कॉल/ई-मेल करें और/या प्राधिकृत अधिकारी (सम्पर्क व्यक्ति) से सम्पर्क करें।

**ई-नीलामी के नियम एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:**

- ई-नीलामी का आयोजन **"जैसी है जहां है", "जैसी है जो है"** तथा **"वहां जो कुछ भी है"** आधार पर की जा रही है और "ऑन लाइन" आयोजित की जाएगी। नीलामी, बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता **BAANKNET** के माध्यम से उसके वेब पोर्टल: <https://baanknet.com/eauction/psb/eproc-listing> पर आयोजित की जाएगी।
- बैंक के पास नीलामी को निरस्त/स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
- वाहन 08.02.2026 को सुबह बैंकिंग घंटों के दौरान सुबह 11:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक निरीक्षण के लिए उपलब्ध है, सम्पर्क करें: श्री राकेश कुमार - 9868598282, 7503037863, मैसर्स कुबेर कंसलटेंट्स, प्लॉट नं.101, जी-27, पंकज टॉवर-4, जी ब्लॉक डीडीए कम्युनिटी सेंटर, विकासपुरी, नई दिल्ली-110018 (समाधान एजेंट)।
- \*सफल बोली लगाने वाले को सफल बोली राशि अर्थात् बिक्री मूल्य पर लागू जीएसटी का भुगतान करना होगा।
- प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान एवं सूचना के अनुसार यहाँ सम्पत्ति/यां पर कोई ऋणभार नहीं है। हालांकि, इच्छुक बोलीदाता को अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले ऋणभारों, नीलामी के लिए रखी गई सम्पत्ति/सम्पत्तियों के स्वामित्व तथा सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/देयताओं के सम्बन्ध में अपनी स्वतंत्र पृष्ठताष्ट कर लेनी चाहिए। ई-नीलामी विज्ञापन, बैंक की किसी भी प्रतिबद्धता या अभिवेदन को संस्थापित नहीं करता और न ही संस्थापित करता हुआ माना जायेगा। सम्पत्ति को, बैंक को ज्ञात अथवा अज्ञात सभी विद्यमान और भविष्य के ऋणभारों के साथ बेचा जा रहा है। प्राधिकृत अधिकारी किसी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/देयताओं के लिए किसी भी प्रकार उत्तरदायी नहीं होगा।
- सफल बोली लगाने वाले की बयाना राशि (ईएमडी) को आंशिक बिक्री प्रतिफल के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा और असफल बोलीदाताओं की ईएमडी वापस कर दी जाएगी। बयाना राशि जमा पर कोई व्याज देय नहीं होगा। सफल बोलीदाता को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली मूल्य की स्वीकृति पर तुरन्त बिक्री मूल्य का 25 प्रतिशत जमा करना होगा और बिक्री मूल्य का शेष, बिक्री के 15वें दिन या उससे पहले जमा करना होगा। सफल बोलीदाता द्वारा राशि जमा करने में चूक होने पर पहले से जमा की गई पूरी धनराशि जब्त कर ली जाएगी और सम्पत्ति को ई-नीलामी के लिए रखा जाएगा और चूककर्ता बोलीदाता का संपत्ति/राशि के सम्बन्ध में कोई दावा/अधिकार नहीं होगा।
- विक्रय के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए कृपया बैंक के सेवा प्रदाता के वेब पोर्टल: <https://baanknet.com/eauction-psb/eproc-listing> तथा ई-नीलामी वेबसाइट: <https://BAANKNET.com> पर उपलब्ध लिंक देखें।